

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

दिनांक

प्रार्थी :-

1. गिरधारी पुत्र डालूराम,  
जाति जाट,  
निवासी दर्जियों का तला(धारासर)  
तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. मूला पुत्र करना, नि.बांकाणा 2.सता पुत्र करना, 3.खेता पुत्र मगना, जाति जाट, निवासी कोठे का तला, 4.खेता पुत्र नाहरा 5.देवा पुत्र पूरा 6.खेता पुत्र विशना 7.खेता पुत्र हंजारी, जाति दर्जी, निवासी दर्जियों की बस्ती (धारासर), 8.हिमथा पुत्र लुम्बा, जाति जाट, निवासी खत्रियों का वास, चौहटन 9.इसरा पुत्र चेना, जाति जाट, निवासी दर्जियों की बस्ती (धारासर), 10.किशना पुत्र गुमना, जाति जाट, निवासी शास्त्री नगर, बाड़मेर 11.रामसिंह पुत्र भीमसिंह, जाति राजपूत, निवासी राजपूतों का वास, चौहटन 12.बजरंग पुत्र ठाकरा 13.नीम्बा 14.प्रहलाद पि. रतना जाति जाट, निवासी दर्जियों की बस्ती (धारासर) 15.जेठा पुत्र कुंभाराम, जाति जाट, निवासी बांकाणा 16.रामाराम पुत्र पुरखाराम, जाति जाट, निवासी कोठे का तला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 285/2018

दिनांक : 05.07.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र धारासर के मौजा दर्जियों का तला के खेत खसरा सं. 638 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 639 रकबा 34.18 बीघा, खसरा सं. 642 रकबा 140.06 बीघा एवं मौजा कोठे का तला के खसरा सं. 433 रकबा 24.12 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर



क्रमांक/भू.अ./2022/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी गिरधारी
3. विप्रार्थीगण मूला वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

1466 to 1469

दिनांक

05/07/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
बाड़मेर